भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2551

उत्तर देने की तारीख – 16/12/2025

राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान

2551. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई ने इस वर्ष के प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बाद "प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स में स्नातक" पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश रोक दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस पाठ्यक्रम को बंद करने से इस क्षेत्र में योग्य प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स पेशेवरों की कमी हो जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का प्रवेश प्रक्रिया को बहाल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : इस विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई है।

प्रशासनिक उपाय के रूप में संस्थान की कार्यकारी परिषद (ई.सी.) ने "प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातक" पाठ्यक्रम के लिए चालू शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया।

(ख) और (ग) : इस क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा अनुमोदित कुल 9 संस्थान हैं जो प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कुल 185 छात्र हैं। आज की तारीख तक इस क्षेत्र में कुल 241 प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स पेशेवर दिव्यांगजन समुदाय की सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं।

*****